# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 54/2020 जिला–दौसा।

राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.03.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 68/2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश कुमार पारीक।

## निर्णय

दिनांक–28.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.03.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.5.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील राधेश्याम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा अपील खारीज कर न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा मुकदमा नम्बर 73/2015 सरकार बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 तथा नायब तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को कों सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पिडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिकण होने का कोई निर्णय व सबूत नही है। फिर भी न्यायालय ने पश्चातवर्ती निर्णय मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिकमण नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट के अपील के तथ्यो पर व तरको पर कोई विचार किये बिना निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 30 में से 0.14 है. भूमि जिला कलक्टर दौसा द्वारा आबादी में दिनांक 25.4.2016 को सेट अपार्ट की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 तथा नायब तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2016 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 04.05.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा के समक्ष पटवारी हल्का पालावास द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट्) ने ग्राम मित्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 3.90 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर पक्का मकान डण्डा बनाकर पश्चातवर्ति अतिक्रमण, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.12 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर जोत कब्जा कर एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 4.20 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है0 भूमि पर जोत कर नया अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 73/2015 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 22.09.2015 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुये 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने व वार्षिक लगान 4.40 रूपये का 50 गुणा 220/-रूपये शास्ति आरोपित किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील राधेश्याम बनाम सरकार में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 पारित कर अपील अपीलांट खारीज की जाकर नायब तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 22.09.2015 को यथावत रखा गया।

7. हम समझते है कि अपीलांट् द्वारा ग्राम मित्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 3.90 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर पक्का मकान डण्डा बनाकर पश्चातवर्ति अतिक्रमण, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.12 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर जोत कब्जा कर एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 4.20 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है0 भूमि पर जोत कर अतिक्रमण किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट्) के पश्चातवर्ति अतिक्रमी घोषित होने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा एवं न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

28/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner